न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 162/2021
GCMS NO. : 2021/295

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. पप्पुराम दत्तक पुत्र सुजाराम नैसर्गिक पिता हरजीराम जाति–मेघवाल, साकिन रास तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र हरजीराम जाति मेघवाल साकिन रास तहसील जैतारण जिला पाली।
2. देवीलाल वल्द गोकल फौत के का.मु.
   - 2.1 उगमाई पत्नी देवीलाल
   - 2.2 राजेश कुमार पुत्र देवीलाल
   - 2.3 श्रवणलाल पुत्र देवीलाल
   - 2.4 शान्ति दुख्तर देवीलाल
   - 2.5 सुखी दुख्तर देवीलाल
   - 2.6 समु दुख्तर देवीलाल
   - 2.7 सुरमा दुख्तर देवीलाल
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।
4. पटवारी रास प्रथम।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू:–07.09.2021

उपस्थित:–
1. श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉंक:– 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली मे खसरा संख्या 235 रकबा 2.6305 हैक्टर किस्म बारानी दोयम आई हुई है। प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या 01 में वर्णित मुतनाजा कृषि आराजीयात को प्रार्थना पत्र में मुतनाजा आराजीयाम से संबोधित किया जायेगा। उपर्युक्त वर्णित मुतनाजा कृषि आराजीयाम सायल की मिल्कीयत एवं हिन्दू मुस्तर्फा खानदान की है। सायल मेघवाल जाति से संबंध रखने के कारण सायल पर लागू होती है। व हि[illegible] में दत्तक प्रथा प्रचलित है। सायल के नैसर्गिक पिता व दत्तक [illegible] होने के कारण कानूनी अज्ञानतावश सायल का गोदनामा प्रलेख को पंजीयन उपपंजीयन क[illegible] जैतारण में नही करवाया। सायल के नैसर्गिक माता पिता व दत्तक माता पिता द्वारा हिन्दू धर्म में प्रचलित गोद प्रथा के अनुसार बाई गिविंग एण्ड टेकिंग प्रोसिजर अडोप्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

करते हुए मेघवाल समाज के परम्परागत रावजी की बही भाट वंश वंशावली लेखक की उपस्थिति में संवत् 2059 माह मार्गशीर्ष पूनम को गोद लिया, जिसका इन्द्राज राव बही भाट में है। महेन्द्र कुमार वल्द राधाकिशन राव धनेरिया के द्वारा बही भाट गोद प्रलेख के इन्द्राज की नकल दावे का एक भाग माना जावे। नकल नामान्तरण दाखिल खारिज परत म्युटेशन संख्या 3316 दिनांक 10.12.2010 में तत्कालीन पटवारी ने सुजाराम फौत हुआ उसके दत्तक पुत्र पप्पुराम के नाम नामान्तरण अमल दरामद न कर, बिना सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के स्वेच्छा से डिस्होनेस्टी मैनर्स अख्तयार करते हुए हिन्दू संहिता के कानून की उदुली वॉयलेशन करते हुए गैरकानूनी रूप अख्तयार कर गलत तरीके से विधि निषेध कार्य किया जो काबिल मंसुख है। सायल ने सक्षम अधिकारिता वाले कोर्ट में दावा पेश किया है। गैर कानूनी रूप से सूजाराम की खातेदारी मिल्कीयत में देवीलाल पुत्र गोकल ने विधि विरूद्ध खातेदारी अर्जित जरिए म्युटेशन संख्या 3316 दिनांक 13.12.2010 को किया जो शुन्य है। नल एण्ड वॉईड है। देवीलाल के फौत होने के पश्चात उसके विधिक वारिसान गैरसायलान संख्या 2/1 से 2/7 अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने पर आमादा है जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिग्स होगी, सायल को अनावश्यक खर्चे व समय से जैर बार होना पडेगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी। देवीलाल के विधिक वारिसान का म्युटेशन खारिज करने हेतू संबंधित तहसीलदार एवं मातहत पटवारी को म्युटेशन रोकने हेतू अर्जी दी है जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायल स्वर्गीय सुजाराम वल्द मुगना का हिन्दू रिति रिवाज अनुसार गोद पुत्र है उसका 1/3 हक हिस्सा व मुतनाजा कृषि आराजीयात में सृजित होता है। मुतनाजा कृषि आराजीयात में verted interest by adoptive son abdudant share of late sujaram में है, वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हिस्सा कस्ती गलत नामान्तरण के कारण है। देवीलाल अविधिक रूप से 1/2 हिस्सा का खातेदार है जो गैरकानूनी व गलत म्युटेशन का परिणाम है। उक्त गलत इन्द्राज आगे न बढे सायल मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स से बचे अतः वर्तमान राजस्व रेकर्ड को जरिए व्यादेश से रोका जाना कानूनी लाजमी है। गैरसायलान संख्या 2/1 से 2/7 द्वारा बिना विधिक बंट्वाड़े व बिना हिस्सा दुरुस्त किए अवैध रूप से मौके पर तामिरात खड़े करने अवैध बजरी व पत्थर डालकर सन्निर्माण कार्यवाही को अंजाम दिया गैरकानूनी है। सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जो मुद्रा में आंकी नही जा सकती है। अतः व्यादेश स्थाई निषेधाज्ञा आदेशात्मक व प्रतिषेधात्मक का वाद सायल द्वारा खिंलाफ गैरसायलान संख्या 2/1 से 2/7 पेश है। मृतनाजा कृषि आराजीयात का उतरोत्तर अन्य [illegible] न हो इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा आदेशात्मकब व प्रतिषेधात्मक हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मुतनाजा कृषि आराजीयात में सायल के [illegible] व हिस्से अनुसार रेकर्ड दुरुस्ती कर खातेदार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विधिक विभाजन हेतू वादपत्र पेश किया जा रहा है। गैरसायलान संख्या 3 व 4 सरकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible]तारण, जिला-पाली

नुमायन्दे है, प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण इन्हे बिना नोटिस दिए पक्षकार संयोजित किया जाता है। सायल श्रीमान के न्यायाधिकार में रहता है। मनकुला मुतनाजा कृषि आराजीयात श्रीमान के क्षैत्राधिकार में अवस्थित है। जो अन्दर म्याद पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 2/1 से 2/7 की ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ईकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2/1 से 2/7 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 का जबाब है कि सरहद मौजा रास प्रथम मे स्थित कृषि भूमि खसरा. नम्बर 235 रकबा 2.6305 हैक्टयर की आई हुई है। जिसमे जबाब देहन्दा के पिता देवीलाल जी का 1/2 हिस्सा निहित था और उनके फौत होने के पश्चात उनके वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड मे माफिक हिस्सेनुसार इन्द्राज हुआ। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 235 पुश्तैनी जमीन थी और जो गोकल, हरजी, सुरजाराम व रामाराम जी के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज थी उसके बाद सुज़ाराम व रामाराम नाऔलाद फौत हो गये थे और नाऔलाद फौत होने से इन दोनो का हक हिस्सा स्वतः ही इनके दोनो सगे भाई गोकलराम व हरजी मे निहित हो गया तथा सुजाराम जी व रामाराम जी ने अपने जीवनकाल मे किसी को गोद नही लिया और नही ऐसा कोई गोदनामा उन्होंने तकमील किया था। सायल द्वारा इस पद में यह तथ्य अंकित करना कि समाज की परम्परा के अनुसार गोदनामे का अंकन राव की बही मे इन्द्राज है उक्त कथन पूर्णतया झूठे व बेबुनियाद है। क्योकि सुजाराम ने अपने जीवनकाल मे पप्पूराम को गोद नहीं लिया था और वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे पप्पुराम पुत्र हरजीराम हिस्सा 1/4 इन्द्राज है इससे स्पष्ट होता है कि पप्पूराम को उक्त आराजी मे हरजीराम जी के फौत होने के पश्चात बतौर उतराधिकारी सम्पति प्राप्त हुई यदि पप्पूराम सुजाराम जी का गोदपुत्र होता तो उसे उसके प्राकृतिक पिता अर्थात हरजीराम जी की सम्पति मे हिस्सा प्राप्त नहीं होता। पप्पूराम ने कुटरचित व बडी चालाकी से राव की बही सुजाराम जी के फौत होने के अभी कुछ समय पूर्व दिनांक 01/09/2021 को राव महेन्द्रकुमार से मिलीभगती करके कांट छांट करते हुए राव की बही मे इन्द्राज करवा दिया। जबकि सुजाराम जी को फौत हुए करीबन 15 साल हो गये है। इस प्रकार सायल ने इस पद मे जो तथ्य अंकित किये वो तथ्य गलत झूठे वः बेबुनियाद है, क्योकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मे यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी के [illegible] जाता है तो उसे अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति मे हक छोड़ना पड़ता [illegible] विवादग्रस्त सम्पति के राजस्व रेकर्ड मे पप्पूराम पुत्र हरजीराम हिस्सा 1/4 [illegible] तो इससे स्पष्ट होता है कि पप्पूराम सुजाराम जी के गोद नही गया था और यहां तक कि सुजाराम व रामाराम ने अपने जीवनकाल मे किसी को गोद नही लिया था और सुजारामं व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला-पाली

रामाराम के देहान्त के बाद हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उसके दोनो भाई गोकल व हरजी जो कि प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से सुजाराम व रामाराम की सम्पति स्वतः ही उनमे निहित हो गई तथा सायल द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थनापत्र के साथ पेश नही किया जिससे वह सुजाराम का गोदपुत्र हो। सायल के सभी सरकारी अर्द्धसरकारी दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड मे उसके प्राकृतिक पिता का नाम दर्ज है तो इससे स्पष्ट होता है कि सायल ने इस पद मे पूर्णतया झुठे तथ्य अंकित किये है जो तथ्य अंकित किये है। वो मात्र प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की गरज से अंकित किये है तथा जबाब देहन्दा के पिता देवीलाल पुत्र गोकलराम जी के पक्ष मे म्युटेशन संख्या 3316 दिनांक 13/12/2010 को पारित हुआ वह विधिअनुसार पारित हुआ था और वर्तमान मे देवीलाल जी के फौत होने के पश्चात जबाब देहन्दा का नाम राजस्व रेकर्ड मे अपने हिस्से अनुसार दर्ज है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य पूर्णतया गलत बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि सायल ने इस पद मे वंशावली दर्शायी है वह भी पूर्णतया गलत व झुठी दर्शायी है क्योकि मुगनाराम जी के चार वारिस थे जो क्रमशः गोकल, हरजी, सुजाराम व रामाराम जिसमे सुजाराम व रामाराम नाऔलाद फौत हुए थे जबकि सायल ने वंशावली मे रामाराम का नाम अंकित नही किया तो इससे भी स्पष्ट है कि सायल साफ हाथो से न्यायालय मे नही आया है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि सायल जब सुजाराम का गोदपुत्र ही नहीं है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज अस्तित्व मे है तो सायल को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है क्योकि सायल का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 1/4 हिस्सा इन्द्राज है और जो हिस्सा उसे उसके पिता हरजी के फौत होने के बाद बतौर उतराधिकारी प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा वादग्रस्त सम्पति मे सायल का कोई हक अधिकार नहीं है। सायल ने गलत तथ्यो का अंकन कर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य गलत बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति में जबाब देहन्दा का जो हिस्सा इन्द्राज है जो कानूनन है तथा जवाब देहन्दा मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा सायल जबाब देहन्दा के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योकि वादग्रस्त सम्पति के राजस्व रेकर्ड में कोई त्रुटि नहीं है और मौके पर जबाब देहन्दा का हिस्सा अलग है और राजस्व रेकर्ड के हिस्से अनुसार ही जबाब देहन्दा मौके पर काबिज है। इसलिए रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध सायल कोई अनतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उल्टा सायल जबाब देहन्दा की सम्पति मे हस्तक्षेप कर बाधा उत्पन्न करने लगे तब जबाब देहन्दा ने दिनांक 10/10/2021 को सायल व उसके भाईयों के विरुद्ध पुलिस थाना रास ने मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर पुलिस थाना रास द्वारा सायल व उसके भाईयों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जेतारण के समक्ष चार्जसीट दाखिल की जो प्रकरण आज भी विचाराधीन है तो इससे स्पष्ट है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सायल जबाब देहन्दा के हिस्से मे दखलन्दाजी कर रहे है। सायल का वादग्रस्त सम्पति मे 1/4 हिस्सा इन्द्राज है और उतना ही हक अधिकार सायल का उक्त सम्पति मे है इससे ज्यादा वादग्रस्त सम्पति मे सायल का न तो हक है न ही सायल प्राप्त कर सकता है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति मे सायल का 1/4 हिस्सा निहित है और इतना ही हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है इससे ज्यादा सायल का हिस्सा वादग्रस्त सम्पति मे नही है इसलिए राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करने की आवश्यकता नहीं है। सायल ने इस पद मे 1/3 हिस्से की मांग की है वह पूर्णतया गलत है क्योकि सायल हरजीरामजी का वारिस है और हरजीराम जी का वारिस होने से सायल को वादग्रस्त सम्पति मे 1/4 हिस्से का खातेदार इन्द्राज है और इससे ज्यादा हिस्सा सायल प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 का जबाब है कि गैरसायलान् संख्या 3 व 4 सरकारी प्रतिनिधि है जिनको दो माह का नोटिस दिये बिना ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया इसलिए प्रार्थनापत्र पोषणीय नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 का जबाब है कि उक्त पद कानूनी है जो गौर अदालत बाला के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 9 का जबाब है कि सायल द्वारा जो प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जो मयाद बाहर है और बिना दस्तावेज के पेश किया जो काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 10 का जबाब है कि सरहद मौजा रास प्रथम मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 मे सायल का 1/3 हिस्सा नहीं है और नही सायल 1/3 हिस्से पर काबिज है। वास्तविकता यह है कि सायल का वादग्रस्त सम्पति मे 1/4 हिससा है जो राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है एवं सायल सुजाराम का गोद पुत्र नही है न ही सुजाराम ने अपने जीवनकाल में सायल को गोद लिया। इसलिए जो म्युटेशन संख्या 3316 पारित किया गया था वह विधिसम्मत है तथा मौके पर आज भी वादग्रस्त सम्पति मे जबाब देहन्दा अपने हिस्से अनुसार काबिज़ है और राजस्व रेकर्ड मे जो हिस्सा दर्ज है वह हिस्से भी कानूनन है। इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन जबाब देहान्दा के पक्ष मे बखुबी साबित है और यदि सायल वादग्रस्त सम्पति मे हठधर्मिता से प्रार्थनापत्र की आड मे कोई हस्तक्षेप करता है तो अपूर्णिय क्षति जबाब देहन्दा को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। इसलिए सायल जबाब देहन्दा के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र [illegible] दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं [illegible] मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रास प्रथम में स्थिम वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 235 प्रार्थी की मिल्कीयत की है, प्रार्थी हिन्दू विधि से शासित होता है, प्रार्थी सुजाराम का दत्तक पुत्र है तथा कानूनी ज्ञान नही होने के कारण गोदनामा पंजीयन नही करवाया जा सका। खातेदार सुजाराम के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 3316 दिनांक 10.12.2010 विधिविरूद्ध रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थी के हितो के विरूद्ध भरा गया जो शून्य है। वादग्रस्त आराजी में मृतक खातेदार सुजा का 1/3 हिस्सा है तथा प्रार्थी सुजाराम का गोदपुत्र है अतः प्रार्थी खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अप्रार्थी संख्या 01 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/7 ने जवाब प्रार्थना में प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण के पिता देवीलाल का 1/2 हिस्सा था, जिनके फौत होने पर माफिक रिपोर्ट वारिसान का नाम दर्ज हुआ है। मृतक खातेदार सुजाराम व रामाराम नाऔलाद फौत हुए थे जिससे उन दोनो का हक हिस्सा इन दोनो के सगे भाई गोकलराम व हरजी में निहित हो गया। सुजाराम व रामाराम ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया तथा न ही कोई गोदनामा तकमील करवाया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पप्पुराम पुत्र हरजीराम हिस्सा 1/4 इन्द्राज है जिससे स्पष्ट होता है कि पप्पुराम, हरजीराम का वारिसान है जिसे हरजीराम की सम्पति में हिस्सा मिला है। अतः प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नही होता है।

पत्रावली के अवलोकन व वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी पप्पुराम भू अभिलेख में खसरा संख्या 235 में पप्पु पुत्र हरजी हिस्सा 1/4 के नाम से खातेदार दर्ज है अर्थात् पप्पु, हरजी का पुत्र है तथा हरजी से पप्पु का विरासतन सम्पति प्राप्त हुई है। ऐसी दशा में प्रार्थी पप्पु को मृतक खातेदार सुजाराम का गोद पुत्र या सुजाराम की सम्पति में हकदार प्रथम दृष्ट्या नही माना जा सकता है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में संतोषजनक साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किए है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :- चुंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 235 में प्राथी पप्पु, हरजी के पुत्र के रूप में 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज तथा अप्रार्थीगण देवीलाल के वारिसान जो हरजी का भाई है, के हिस्से में काश्तकार के रूप में दर्ज है। तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी आराजी है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना नही माना जा सकता। न ही प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति होना

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

साबित होता है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested